तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/02/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य / अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 26/3/25 को पेश हो। रीडर
26/03/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य / अवकाश मे होने से पत्रावली दिनांक 23/4/25 को पेश हो। रीडर
23/4/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। मिसल इन्तजार तलबी हेतु दिनांक 16/5/25 को पेश हो।
16/5/25	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य / अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 4/6/25 को पेश हो। रीडर
4/6/25 Not press	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील वादी उक्त पत्रावली आगे नहीं चलाना नहीं चाहते। वकील वादी द्वारा पत्रावली को जरिये Not प्रेस खारिज कराने का निवेदन किया गया। अतः पत्रावली जरिये Not प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कक्ष हो।

Reader check & Report
मा ईवी
23/08

सेवामें

श्रीमान् न्यायालय सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बापिणी जिला फलौदी।

राजस्व वाद संख्या :–2024/23

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चन्द्रप्रकाश पुत्र मोतीराम		1. आसुराम पुत्र केसाराम
2. कपील पुत्र मोतीराम		2. अमराराम पुत्र केसाराम
3. देवीलाल पुत्र मोतीराम		3. उरजाराम पुत्र केसाराम
4. धमेन्द्र पुत्र मोतीराम		4. मगाराम पुत्र केसाराम
5. मदनलाल पुत्र मोतीराम		5. घमण्डाराम पुत्र केसाराम
6. श्रवण कुमार पुत्र मोतीराम		6. मगाराम पुत्र केसाराम
7. हीराराम पुत्र मोतीराम		7. खिंयाराम पुत्र घमण्डाराम
8. सायरी पत्नी हीराराम		8. पुखराज पुत्र घमण्डाराम
9. सुशीला पत्नी देवीलाल		9. गुड्‌डी पत्नी पुखराज
10.सीता पत्नी मदनलाल		10.मीरा पत्नी खिंयाराम
11.ईमरती पत्नी श्रवण कुमार		11.पप्पुराम पुत्र उर्जाराम
सभी जाति जाट निवासी जेवासर तहसील बापिणी जिला फलौदी।		12.बाबुराम पुत्र उर्जाराम
		13.लालाराम पुत्र उर्जाराम
		14.अन्नी पत्नी पप्पुराम
		15.गुड्‌डी पत्नी बाबुराम
		16.उगमा पत्नी लालाराम
		सभी जाति जाट निवासी जेवासर तहसील बापिणी जिला फलौदी।

चन्द्रप्रकाश

कपिल धर्मेन्द्र सीता सुशीला श्रवण

17.शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा औसियां

18.तहसीलदार बापिणी भूमिधारी राजस्थान सरकार।

वाद अर्न्तगत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी,

वादीगण की तरफ से दावा बन्टवारा का पेश कर निम्न निवेदन है कि :–

1. यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त सामलाती खातेदारी की कृर्षि भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पुनासर के राजस्व ग्राम जैवासर में खसरा नम्बर 1245 (बारह सौ पेतालिस) रकबा 42.3624 (बेयालिस दशमलव छतीस चौबीस) हैक्टेयर जमीन एंव ग्राम मुकनासर में खसरा नम्बर 837 (आठ सौ सेतीस) रकबा 5.3014 (पांच दशमलव तीस चब्दे) हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो आगे के पदो में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेंगी। वादग्रस्त भूमि की चालू चौसाला सम्वत 2073–2076 (दौ हजार तेहतर से दौ हजार छियतर) में खाता संख्या 6 एंव 9 (छ एंव नौ) की जमाबन्दी सलग्न वाद पेश है।

2. यह है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सयुक्त रूप से जमाबन्दी अनुसार हिस्सा बन्ट में आता है। वादीगण अपना–अपना हिस्सा प्रतिवादीगण से अपने हक हिस्से की भूमि का बन्टवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में करवाना चाहता है ओर वादीगण सामलाती भूमि का बन्टवाड़ा करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

चन्द्रप्रकाश देवीलाल श्रवण
कपिल धर्मेन्द्र सोना सुशीला
हिरराम
मदनलाल सायरी इमरती

3. यह है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं होने से वादीगण को अपने हिस्से की भूमि में विकास कार्य व काश्त करवाने में कठिनाई हो रही है। आये दिन हक हिस्से की भूमि के विभाजन को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगणों के बीच में मनमुटाव रहता है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 (अठारह से इकीस) के अनुसार करवाने के लिए यह वाद पेश है।

4. यह है कि उक्त वाद अधीन ग्राम जैवासर में खसरा नम्बर 1245 (बारह सौ पेतालिस) रकबा 42.3624 (बेयालिस दशमलव छतीस चौबीस) हैक्टेयर जमीन एंव ग्राम मुकनासर में खसरा नम्बर 837 (आठ सौ सेतीस) रकबा 5.3014 (पांच दशमलव तीस चब्दे) हैक्टेयर, की जमीन का बन्टवारा हमारे पुर्वजों ने मौखिक रूप करके मौके पर कब्जा अलग–अलग किया हुआ हैं और वर्षो से खेती बाडी करते आ रहें हैं और ढाणी, टांका, गोर–बाडीया आदि बने हुऐ हैं। लेकिन वाद अधीन आराजी का राजस्व रेकड़ मे बंटवारा नहीं किया हुआ है रेकड़ में सामलाती खातेदारी दर्ज है तथा नक्शे में तरमीम की हुई नहीं है खाता अलग किया हुआ नहीं है। जिसको लेकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काश्त करते वक्त आपस में वाद विवाद मन मुटाव एवं लड़ाई–झगड़ा करने के लिए उतारू रहते है प्रतिवादीगणों को कई बार कहा की हमारी खातेदारी भूमि का राजस्व रेकड़ में विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 हमेशा आना – कानी करते रहे हैं और कहते है कि जब भी मौका मिलेगा तो भूमि का

चन्द्रप्रकाश देवीलाल श्रवण
हिरराम कपिल धर्मेन्द्र मीरा सुशीला
मदनलाल मायड़ी ईमरती

विभाजन करवा देगे। लेकिन आज तक नही करवाया है तथा अभी हाल में दिनांक 18.08.2024 (अठारह अगस्त दौ हजार चौबीस) को प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 व 11 से 14 (एक, तीन व ईगयारे से चब्देह) ने वाद ग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया ओर विशेष भू–भाग, उपजाउ, समतल जमीन पर कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी । इसलिए यह वाद खातेदारी जमीन के बंटवारे का वाद मजबुरन पेश करना पड़ रहा और वादीगण को बंटवाड़ा आदि करवाने के हकदार है।

5. यह है कि वादकारण दिनांक 18.08.2024 को बमुकाम ग्राम जैवासर में तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण के बन्टवारा करने का आग्री करने पर प्रतिवादीगण संख्या 01, 03 व 11 से 14 (एक, तीन व ईगयारे से चब्देह) ने विवादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया ओर उपजाउ, विषेश भू–भाग पर कब्जा करने, हमारे कब्जे कास्त से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी। जो लगातार आज दिन जारी है।

6. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 18 (अठारह) भूमिधारी तहसीलदार बापिणी विवाद ग्रस्त भूमि का लेण्ड होल्डर होने से प्रफोर्मा आवश्यक पक्षकार अन्तर्गत धारा 53 (त्रैपन) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का होने से पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्व वादीगण ने कोई अनुतोष नहीं मांगा है।

7. यह है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि ग्राम जैवासर व मुकनासर तहसील बापिणी मे घठित होने तथा दावा भूमि विभाजन का होने से अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकर का है।

चन्द्रकुमार सीता देवीलाल श्रवण कपिल धर्मेन्द्र सुशीला

8. यह है कि वाद का मूल्याकंन बाबत खातेदारी बंटवाड़ा, किये जाने के लिए नियमानुसार न्यायालय शुल्क अलावा फर्द तलबना के पेश है।

9. यह है कि इस्तदुआ वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण बर खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावे :—

1. यह है कि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल पुनासर के राजस्व ग्राम जैवासर में खसरा नम्बर 1245 (बारह सौ पेतालिस) रकबा 42.3624 (बेयालिस दशमलव छतीस चौबीस) हैक्टेयर जमीन एंव ग्राम मुकनासर में खसरा नम्बर 837 (आठ सौ सेतीस) रकबा 5. 3014 (पांच दशमलव तीस चब्दे) हैक्टेयर, की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 (एक से सोलह)के बन्ट में सयुक्त रूप से जमाबन्दी में दर्ज हिस्से की भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16 (एक से सोलह) के बन्ट में रखी जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में बन्टवाड़ा किया जाकर अलग किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावें, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

2. यह है कि मुकदमा खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलावे।
3. यह है कि अन्य दीगर दारदर्सी वादीगण के हक मे उचित जो ब—नजदीक इन्साफ वादीगण के हक मे समझे सादीर फरमाई जावे। इति दिनांक :— 20.08.2024

राजूराम चौधरी (फलौदी)
एडवोकेट